न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 24 / 2018

अपीलांट–	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
सगताराम पुत्र सांगाराम जाति दर्जी निवासी पुराना गांव बायतु पटवार मण्डल नगाणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर फौत के कायम मुकाम 1.1 शंकरलाल पुत्र सगताराम 1.2 ओमप्रकाश पुत्र सगताराम 1.3 गंगादेवी पत्नी सगताराम		1 जोगाराम पुत्र घमण्डाराम 2 भगाराम पुत्र घमण्डाराम 3 पेमी देवी पत्नी घमण्डाराम 4 मदनलाल पुत्र दलाराम 5 बालू देवी पत्नी पारसमल 6 ममता पुत्र पारसमल जरिये वलिया माता उत्तरदाता संख्या 5 जाति दर्जी निवासी पुराना गांव बायतु पटवार मण्डल नगाणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 7 तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 66 दिनांक 01.06.2015 जो तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री श्रवण कुमार चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री धनाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 से 6 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 7 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 31.01.2022

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 66 दिनांक 01.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:59 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा पुराना गांव खेत खसरा नंबर 778 रकबा 54 बीघा के खातेदारान जोगाराम भगाराम पि0

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

घमण्डाराम पेमीदेवी पत्नी घमण्डाराम मदनलाल वल्द दलाराम हवादेवी पत्नी दलाराम बालूदेवी पत्नी पारसमल ममता पुत्री पारसमल ना0बा. वली माता बालूदेवी पत्नी पारसमल सगता वल्द सांगा कौम दर्जी ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.06.2015 को तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 66 दिनांक 01.06.2015 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.09.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत अपील के विचारण के दौरान अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपील के तथ्यों की ताईद की।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 66 दिनांक 01.06.2015 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलाधीन आदेश पक्षकारान के मौके पर कब्जा अनुसार नहीं है तथा यह नक्शा दोनों पक्षों के विवाद का कारण बन गया है। अपीलाधीन विभाजन से जो रकबा निर्धारित हुआ है वह निर्विवाद है किन्तु नक्शा त्रुटिपूर्ण होने से रकबा एवं नक्शा में एकरूपता आवश्यक है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन नक्शे त्रुटि का ज्ञान अपीलांट को 20 दिन पूर्व हुआ जब हलका पटवारी मौके पर तरमीम करने एवं पैमाईश करने हेतु [illegible] अपीलाधीन आदेश के बारे में बताया गया। इस पर अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु दिनांक 16.05.2018 को आवेदन किया और नकल लेने पर उसे ज्ञात हुआ कि विभाजन का तस्दीकशुदा नक्शा अपीलांट के भौतिक कब्जानुसार नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा के इकरारनामा पर पारित आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा सीमाज्ञान करवाने पर उक्त के बारे में सम्पूर्ण जानकारी हुई तब दिनांक 16.05.2018 को आवश्यक नकलें और मौके की बंटवाडे की नकल प्राप्त करने पर ही बंटवाडे के गलत होने की जानकारी हुई। पटवारी ने कार्यालय में बैठे–बैठे बिना मौके की जांच व आवास तथा कब्जे की जांच किये अंदाजिया नक्शा तैयार किया तथा पक्षकारान को आश्वस्त किया कि तरमीम के समय कब्जानुसार सही अंकन कर लिया जावेगा। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील के तथ्यों की ताईद की गई तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के हिस्सों का विभाजन मौका पर कब्जा–काश्त अनुसार पुनः किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा पुराना गांव के खेत खसरा नंबर 778 रकबा 54 बीघा के खातेदारान जोगाराम भगाराम पि0 घमण्डाराम पेमीदेवी पत्नी घमण्डाराम मदनलाल वल्द दलाराम हवादेवी पत्नी दलाराम बालूदेवी पत्नी पारसमल ममता पुत्री पारसमल ना0बा. वली माता बालूदेवी पत्नी पारसमल सगता वल्द सांगा कौम दर्जी ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.06.2015 को तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर [illegible] अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 66 दिनांक [illegible].06.2015 पारित किया गया। अपीलांट की अपील एवं रेस्पोडेंटस की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब अनुसार इस विभाजन [illegible] विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नहीं करवाई गई। इस प्रकार

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

तहसीलदार बायतु द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। पक्षकारान ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब व अपील का समर्थन करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा काश्त अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 66 दिनांक 01.06.2015 अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार बायतु को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 31.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:59 IST
Reason: SelfAttested